

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(4) लेखा/प्रमुवसं/2018-19 3221

दिनांक : 13/08/2020

कार्यालय आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II 16 से 27 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के भाग-I के आइटम 11 में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अध्यक्षीन तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1)वित्त/साविलेनि /2005 पार्ट-I जयपुर दिनांक 20.07.2020 के क्रम में नाकारा वाहन/अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान की मोनिटरिंग करने के लिए मुख्यालय वन विभाग में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनके सम्पर्क सूत्र मोबाईल नम्बर 9829255136 कार्यालय न. 0141-2713927 एवं ई-मेल drvirul1966@gmail.com है। किसी भी सूचना/मार्गदर्शन के लिए नोडल अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र में चाही गई सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की अगले माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिससे विभागीय संकलित सूचना को इस कार्यालय द्वारा प्रति माह निदेशक निरीक्षण विभाग/वित्त विभाग को भिजवाया जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

प्रपत्र-A नाकारा सामान

क्र.स.	सामान का नाम/प्रकार	क्रय वर्ष	सामान की उपयोग अवधि	बुक वेल्यू	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	संभावित राजस्व	नीलामी करने की संभावित तिथि	नाकारा करने का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र-B नाकारा वाहन

क्र.स.	वाहन का प्रकार	प्रचालन कि.मी./घण्टे	निरीक्षण कमेटी/नाकारा कमेटी/नीलामी कमेटी के गठन का विवरण	क्रय वर्ष	वाहन द्वारा पूर्ण किये गये वर्ष	बुक वेल्यू	नीलामी करने का संभावित समय	संभावित राजस्व	नाकारा करने का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

56
(जी. विश्वनाथ रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(हॉफ)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 13 (8) 20

क्रमांक एफ 2(4) लेखा/प्रमुवसं/2018-19 | 3222 - 277,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यआयोजना वन बन्दोबस्त /प्रशिक्षण/उत्पादन, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/एनटीएफपी/राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर/जयपुर/विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परियोजना कोटा/बनास परियोजना, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सरिस्का (अलवर)/जयपुर।
5. वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, कार्यालय प्रमुवसं (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त उप वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(B. M. J. J.)
वित्तीय सहायक
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर